

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :- रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:- 2025/118 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक- 07.10.2025

अनवान

1. रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद। वादी

बनाम

1. सोहन सिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
2. नरेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
3. मंजु कुमारी पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
4. शंकरबाई पत्नि शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, देलवाडा। प्रतिवादीगण

वाद- घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित- श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।


श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04।

-: निर्णय :-

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अंतर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम उनवास, पटवार हल्का उनवास, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि स्थित है जो अंकित चौसला आधार संवत् 2076 से 2076 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी निम्न कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

खाता संख्या नया 350 पुराना 337 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2555,2556,2557 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1264 हैक्टेयर उक्त कृषि भूमियों में वर्तमान में वादी के नाम 1/80 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-



सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियां पूर्व में खातेदार भगा पिता गंगाराम के नाम दर्ज थी व विरासत से वरदीसिंह, पनसिंह तथा वरदीसिंह की मृत्यु होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं खातेदार शंकरसिंह पुत्र वरदीसिंह एवं वरदीबाई पत्नि वरदा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 02, 03 व 04 के पूर्वाधिकारी शंकरसिंह के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई परन्तु राजस्व कर्मचारियों को विरासत से नामान्तरण संख्या 557 में वादी का नाम रायसिंह ही अंकित किया परन्तु जमाबंदी में वादी का नाम रामसिंह अंकित कर दिया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजों में रायसिंह नाम दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रेकॉर्ड में भी अपना नाम संपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर रामसिंह के बजाय रायसिंह अंकित कराना चाहता है तथा इसी आशय की घोषणा करा इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत दर्ज है वादी का वास्तविक नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत है तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भी रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित है तथा उक्त दोनों नामों को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो तथा दस्तावेज व राजस्व रेकॉर्ड में अलग-अलग नाम नहीं हो इसलिए वादी राजस्व रेकॉर्ड में भी अपना सही नाम जो अन्य दस्तावेज में दर्ज है उक्त नाम को ही राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है जो सही नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत दर्ज करवाना चाहता है इसी आशय की इन्द्राज दुरुस्ती कराने का भी अधिकारी है तथा उक्त नाम शुद्धि करने पर अन्य खातेदारान् के हक अधिकारों पर भी कोई विपरीत प्रभाव पडने वाला नहीं है तथा न ही अन्य खातेदारों को कोई क्षति होने वाली है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत के बजाय सही नाम रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित करवाना चाहता है तथा राजस्व रेकॉर्ड में इसी अनुसार घोषित कराने का अधिकारी है तथा घोषित होने के बाद राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज कराने का भी अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 04.03.2025 को उत्पन्न हुआ जब वादी राजस्व ग्राम उनवास में फार्मर रजिस्ट्री करवाने हेतु कैम्प में गया तो पता चला की वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में गलत होने से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है तब पटवारी हल्का द्वारा कहा की आपको सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर अपने नाम को सही करवाना होगा तत्पश्चात् ही आपकी फार्मर रजिस्ट्री हो सकती है इसलिए वाद कारण लगातार आज भी जारी है। वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एक ही परिवार की सदस्य होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध वाद में कोई प्रतिकार नहीं चाहा गया है। खातेदार शंकरसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी संख्या 02 से 04 है जो वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में कृषि भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत के बजाय रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत अंकित करा घोषित फरमाया जावें तथा तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3 बावजूद सुचना अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं प्रकरण में इनके विरुद्ध कार्यवाही एक-तरफा करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल द्वारा वकालतनामा मय राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि:-

1. वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं अर्थात् वरदा पिता भगा जी के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं।
2. वादी रायसिंह मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का सगा भाई है तथा हम प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के रिश्ते में सगे काकोसा लगते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 04 के देवर लगते हैं।
3. वरदा पिता भगा जी के रामसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा भुलवश रायसिंह का नाम रामसिंह अंकित कर दिया जबकि वास्तविक नाम रामसिंह है।



सहायक कलक्टर
नाथदारा, जिला-राजसमन्द

4. हमारे परिवार में रामसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा रामसिंह को ही रायसिंह के नाम से जाना जाता है तथा सभी दस्तावेजों में भी रायसिंह का नाम ही दर्ज है।
5. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
6. आप न्यायालय द्वारा वादी रायसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद अपने नाम की शुद्धी अर्थात् रामसिंह के बजाय रायसिंह किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी हेतु गवाह रायसिंह स्वयं उपस्थित होकर शपथ-पत्र Pw-1 पेश किया गया। शपथ-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ओर गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता पक्षकारान् द्वारा की गई बहस सुनी गई।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों मय प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076-2076 प्रदर्श-1, नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम उनवास प्रदर्श-2, पुरानी जमाबंदी खतौनी ग्राम उनवास प्रदर्श-3, जमाबंदी संवत् 2060 प्रदर्श-4, कार्यालय ग्राम पंचायत सेमल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्श-5ए, प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श-6ए, प्रार्थी के भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छायाप्रति प्रदर्श-7ए, प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श-8ए समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि रामसिंह अथवा रायसिंह एक ही व्यक्ति है। राजस्व कमचारियों की भूलवश वक्त नामान्तकरण रायसिंह का नाम रामसिंह अंकित कर दिया गया है जबकि रामसिंह का वास्तविक नाम रायसिंह है एवं रामसिंह नाम का वरदीसिंह का कोई दूसरा पुत्र नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, गवाहों एवं उनके बयानों के अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:-

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप: वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम उनवास, पटवार हल्का उनवास, तहसील खमनोर की जमाबंदी 2076-2076 खाता संख्या नया 350 पुराना 337 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2555,2556,2557 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1264 हैक्टेयर में भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदीसिंह घोषित करने के आदेश दिए जाते हैं रामसिंह पिता वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर/नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया गया।



(रखा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिग्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति रक्षा पारिक, R.A.S.

प्रकरण संख्या:- 2025/118 राजस्व वाद

अनवान

1. रायसिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. सोहन सिंह पिता वरदा उर्फ वरदीसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
2. नरेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
3. मंजु कुमारी पिता शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
4. शंकरबाई पत्नि शंकरसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी-सीम की भागल, सेमल, तहसील देलवाडा, जिला-राजसमंद।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, देलवाडा।

..... प्रतिवादीगण

वाद- घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादी मय अधिवक्ता श्री ख्यालीलाल नागदा एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री मनमोहन पालीवाल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम उनवास, पटवार हल्का उनवास, तहसील खमनोर की जमाबंदी 2076-2076 खाता संख्या नया 350 पुराना 337 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2555,2556,2557 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1264 हैक्टेयर में भूमियों में वादी का नाम रामसिंह पिता वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदीसिंह घोषित करने के आदेश दिए जाते हैं रामसिंह पिता वरदीसिंह के बजाय रायसिंह पिता वरदीसिंह जाति राजपूत को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज.....-..... मुबलिज -.....-..... बाबत -.....-... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर -.....-.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक -.....-... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।



१९

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नाथद्वारा
सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

मुदई

स्टाम्प अर्जीनामा

रूपया पैसा

मुदयलह

रूपया पैसा

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प वजह सबूत

स्टाम्प हाजरी

मेहनताना वकील

मेहनताना वकील पर

खर्चा गवाहान्

खर्चा गवाहान्

फीस कमिश्नर

फीस कमिश्नर

बबत् इजराय हुक्मनामा

बबत् इजराय हुक्मनामा

मुतफरिक

मुतफरिक

मिलान

मिलान

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।



(Signature)

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द